

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ
अति-अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-03/2026-27

| | | |
|----|---|--|
| 1. | विभाग का नाम | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार। |
| 2. | विज्ञापन दाता का नाम पता | वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ |
| 3. | परिमाण बिक्री के आरंभ की तिथि | 24.04.2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से |
| 4. | परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 14.05.2026 को अपराह्न 5.00 बजे तक कार्य अवधि में। |
| 5. | निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय | 15.05.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक |
| 6. | निविदा खोलने की तिथि एवं समय | 15.05.2026 को अपराह्न 01.30 बजे |


नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के बिहारशरीफ वन प्रक्षेत्र अंतर्गत संचालित सुभाष पार्क में पर्यटकों की सुविधा हेतु पार्क परिसर में अवस्थित कैफेटेरिया के सभी चारो आउटलेट संचालन हेतु दिनांक 24.04.2026 से निविदा आमंत्रित की जाती है :

| क्र० सं० | निविदा का विवरण | अग्रधन की राशि | निविदा प्रपत्र का मूल्य |
|----------|--|----------------|-------------------------|
| 1. | बिहारशरीफ वन प्रक्षेत्र अंतर्गत संचालित अनुग्रह नारायण पार्क कैफेटेरिया तथा चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर में नवनिर्मित कैफेटेरिया | रु. 1,50,000/- | रु. 2000/- |

पार्कों में पर्यटकों के जलपान हेतु खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने के लिये पार्कों परिसर में बने कैफेटेरिया (Cafeteria) संचालन (6.85 मी० × 3.50 मी०) हेतु कार्य में अनुभवी फार्मों/रेस्तराँ Kiosk संचालकों से सील बन्द निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक-15.05.2026 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदाओं के लिये दिनांक-14.05.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में रु० 2000/- (दो हजार रुपये) मात्र का भुगतान कर विहित प्रपत्र (निविदा फार्म) प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/forest/CitizenHome.html> से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर समर्पित करने की स्थिति में प्रपत्र मूल्य के रूप में रुपये 2000/- (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे। निविदा के साथ अग्रधन के रूप में कैफेटेरिया संचालन हेतु रु. 1,50,000/- का बैंक ड्राफ्ट, जो Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif / वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदनाम से बिहारशरीफ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतये हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। कैफेटेरिया के लिये तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में समर्पित करना होगा।

अधिक जानकारी प्राप्त करने या निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय से अथवा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/forest/CitizenHome.html> या <https://state.bihar.gov.in/prdbihar/CitizenHome.html> पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।

बिहार  सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।
अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-03/2026-27

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ अन्तर्गत संचालित विभिन्न पार्कों में अवस्थित कैफेटेरिया संचालन हेतु निविदा की शर्तें :-

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ अंतर्गत संचालित विभिन्न पार्कों में पर्यटकों के जलपान हेतु खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने के लिये कैफेटेरिया (जो जहाँ है, जिस रूप में है) के संचालन हेतु इस कार्य में अनुभवी फर्मों/रेस्तराँ/ Kiosk संचालकों से सीलबंद निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक-15.05.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/forest/CitizenHome.html> या <https://state.bihar.gov.in/prdbihar/CitizenHome.html> से डाउनलोड की जा सकती है। ये तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें दिनांक-15.05.2026 को अपराह्न 01.30 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सभी निविदाओं को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।

1. अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर में बनाये गये कैफेटेरिया के संचालन हेतु निविदा समर्पित की जायेगी। निविदाकर्ता 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' दो अलग-अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी निविदा के लिफाफे पर "तकनीकी निविदा" तथा उस पर अपना नाम-पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 03/2026-27 अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय निविदा' के लिफाफे पर "वित्तीय निविदा" लिखकर अपना नाम-पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 03/2026-27 अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के दोनों सील बंद लिफाफे रहेंगे पर "कैफेटेरिया" संचालन के लिए निविदा" एवं निविदा का विज्ञापन संख्या अंकित कर अपना नाम-पता अंकित करेंगे। तकनीकी निविदा में तकनीकी निविदा फार्म, निविदा शर्तों के अनुपालन हेतु वांछित स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज, निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद/निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर समर्पित करने की स्थिति में प्रपत्र मूल्य के रूप में रूपये 2000/- (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे तथा अपना नाम एवं पता अंकित किया जाएगा।
2. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में कैफेटेरिया संचालन हेतु रू0 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो (Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif)/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पदनाम से बिहारशरीफ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतये हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रधन के प्राप्त होने वाले तकनीकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
3. विलम्ब से या अन्य माध्यम से अथवा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाता सरकारी कार्यालय/सरकारी उपक्रम/सरकारी निगम/सरकार से मान्यता प्राप्त होटल/रेस्टोरेन्ट में रेस्टोरेन्ट या कैफेटेरिया चलाने का कम-से-कम विगत वर्ष में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए इसके लिए संबंधित कार्यालय/प्रतिष्ठान से संतोषप्रद रेस्टोरेन्ट/कैफेटेरिया चलाने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
5. आयकरदाता होने का प्रमाण-पत्र (पैन कार्ड) एवं विगत तीन वर्षों यथा (Assesment Year 2023-24, 2024-25 एवं 2025-2026) का वार्षिक रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

6. निविदादाता को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए। निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन एक तिमाही (तीन माह) की अद्यतन रिटर्न की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
7. निविदाकर्ता को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. रेस्टोरेन्ट या कैफेटेरिया के कार्य में मजदूरों का उपयोग करने हेतु कम्पनी/प्रतिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति/निविदादाता द्वारा E.S.I, E.P.F से निबंधित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता का वार्षिक टर्न-ओवर कम से कम रु. 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) होना चाहिए। निविदादाता को विगत एक वर्ष 2024-25 के वार्षिक टर्न-ओवर का सत्यापित अभिलेख तकनीकी निविदा के प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
10. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन कैफेटेरिया के लिए निविदादाताओं द्वारा अर्पित दर, प्रतिमाह किराया दर में, अधिकतम अर्पित दर के आधार पर तय किया जाएगा।
11. सफल निविदादाता को रु० 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) मूल्य के नन-जुडिसियल (Non-Judicial) स्टाम्प जमा कर एकरारनामा करना होगा जिसमें कैफेटेरिया संचालन की सभी शर्तों का उल्लेख होगा।
12. निविदा पर निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् सफल निविदादाता द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों की विवरणी के साथ दर को वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। सामग्रियों के दर पर अनुमति के उपरांत सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि से शीघ्र कैफेटेरिया का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा कैफेटेरिया के संचालन प्रारंभ करने में बिना किसी कारण विलंब करने पर प्रतिभूति राशि जप्त कर निविदाकर्ता को कालीसूची में डाल दिया जायेगा और द्वितीय निविदाकर्ता से Cafeteria संचालन कराने की कार्रवाई की जायेगी।
13. प्रतिभूति जमा राशि :- सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के रूप में 3 (तीन) माह का अग्रिम किराया किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डीसीआर/एफ.डी.आर/बैंक गारण्टी को प्रतिभूति राशि के रूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ के पदनाम से Pledged कराकर जमा करना होगा। यदि सफल निविदादाता शर्तों के अनुकूल सफलतापूर्वक एकरारनामा की अवधि तक कार्य करते हैं तो उन्हें एकरारनामा अवधि समाप्त होने पर जमा प्रतिभूति राशि वापस कर दिया जायेगा। यदि एकरारनामा अवधि में शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जमा प्रतिभूति राशि को राज्यसात कर लिया जाएगा।
14. सफल निविदाकर्ता को प्रत्येक माह के 5 (पाँच) वीं तारीख तक अग्रिम मासिक किराया जमा करना होगा। 5 वीं (पाँच) तारीख तक निर्धारित मासिक किराया जमा न करने की स्थिति में मासिक किराया का 3% (तीन प्रतिशत) वृद्ध्यात्मक शुल्क जोड़कर भुगतान करना होगा। लगातार तीन माह तक किराया (3% वृद्ध्यात्मक शुल्क सहित) जमा न करने पर जमानत की प्रतिभूति राशि राज्यसात करते हुये निविदा रद्द कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा, साथ ही साथ कैफेटेरिया में रखे सारे सामानों को जप्त कर लिया जायेगा। शेष राशि की वसूली के लिए उनपर विधिवत् कार्रवाई की जायेगी। किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ को होगा।
15. सफल निविदादाता को तीन वर्षों के लिए कैफेटेरिया संचालन हेतु आवंटित की जायेगी। तदोपरांत उनका कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में अगले दो वर्षों के लिए निविदादाताओं द्वारा अर्पित अधिकतम दर प्रतिमाह किराया के 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ (प्रत्येक वर्ष) अवधि विस्तार किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. निविदादाता द्वारा कैफेटेरिया संचालन कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति/पर्यटकों द्वारा खाद्य सामग्रियों के क्रम में शिकायत प्राप्त होने पर समय अवधि के बीच में ही उनके निविदा को निरस्त करने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा को सुरक्षित होगी।
17. विद्युत बिल का भुगतान-सफल निविदाकर्ता को किराया के साथ-साथ विद्युत उपयोग का भुगतान भी अलग से देना होगा। विद्युत बिल का भुगतान मीटर रीडिंग के अनुसार व्यवसायिक दर पर होगा।
18. सामग्रियों की बिक्री अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बर क्षेत्र तक सीमित रहेगी। बिक्री का समय अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बर के खुलने और बंद होने के बीच रहेगा। अनुग्रह

नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर को बन्द होने के बाद एवं सप्ताहिक बन्दी के दिन किसी प्रकार की सामग्री की बिक्री नहीं की जाएगी। अगर अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर को अन्य दिन भी बन्द रखा जाता है, तो उस दिन भी कैफेटेरिया को बन्द रखना होगा और इसके लिए नालन्दा वन प्रमण्डल द्वारा किसी प्रकार की छुट नहीं दी जाएगी। सफलतम निविदादाता को कैफेटेरिया संचालन हेतु खाद्य सामग्री अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर में ले जाने के लिए पर्यटकों की सुविधा के अनुसार एक निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा, उसी समय में सामग्री कैफेटेरिया में लाया जा सकता है।

19. निविदा रद्दीकरण :- सफल निविदादाता द्वारा एकरारनामा की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में कैफेटेरिया संचालन एवं खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी या दर्शकों से अधिक मूल्य की वसूली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत अथवा कैफेटेरिया संचालन से अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ किसी भी समय नोटिस देकर निविदा रद्द करने की कार्रवाई कर सकते हैं। निविदा रद्द होने की स्थिति में सफल निविदादाता को किसी प्रकार का क्षतिपूरक राशि सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी।
20. कैफेटेरिया में किसी प्रकार का मांसाहारी खाद्य पदार्थ एवं नशीला पदार्थ की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कैफेटेरिया संचालक द्वारा किसी प्रकार का निषिद्ध पेय एवं खाद्य पदार्थ को न तो रखा जायेगा और न ही बेचा जायेगा। बेचे जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ को सूची से हटाने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ को होगा।
21. अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर/खाद्य सामग्रियों से संबंधित समय-समय पर निर्गत सरकारी आदेशों का अनुपालन निविदादाता के लिए अनिवार्य होगा।
22. कैफेटेरिया के आस-पास की जगह को हमेशा साफ-सुथरा रखना होगा। कैफेटेरिया संचालक को बचा हुआ एवं अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ का निपटारा करना होगा। अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ को किसी भी परिस्थिति में अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर के अन्दर निपटारा नहीं किया जायेगा।
23. अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर में अवस्थित कैफेटेरिया में खाद्य सामग्रियों को बनाने में एलपीजी गैस स्टोव का उपयोग किया जायेगा। लकड़ी आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा। किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ से अनुमति आवश्यक होगा।
24. कैफेटेरिया संचालक द्वारा बेचे जाने वाले सभी सीलबन्द सामग्रियों को निर्धारित एम.आर.पी. पर ही बेचना होगा। सामग्रियों को तैयार करने में गैस स्टोव/अन्य प्रदुषण मुक्त Improvised स्टोव का उपयोग वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ के अनुमति से किया जा सकेगा।
25. अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर शांत क्षेत्र है। इसलिए कैफेटेरिया में किसी प्रकार का शोर-शराबा, हल्ला गुल्ला एवं संगीत प्रतिबंधित रहेगा। अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर में धुम्रपान, प्लास्टिक वर्जित क्षेत्र है। अतएव अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर में धुम्रपान एवं प्लास्टिक बैग का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
26. संचालक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन एवं लापरवाही बरतने पर प्रत्येक उल्लंघन/लापरवाही पर दस हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी को होगा।
27. सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित घोषणा-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
28. कैफेटेरिया में अन्य किसी प्रकार की सुविधा वन प्रमंडल पदाधिकारी के अनुमति से ही उपलब्ध करायी जा सकेगी।
29. किसी भी निविदा को, किसी भी समय स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ को सुरक्षित रहेगा।

30. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़ावाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए सभी पृष्ठों पर अपना हस्ताक्षर करेंगे।
31. सरकार के निर्देश के अनुसार निविदा में भाग लेने हेतु आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है।
32. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र बिहारशरीफ होगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।
६०

पत्रांक / दिनांक / / 2026

प्रेषक,

राजकुमार एम०, भा०व०से०,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के बिहारशरीफ वन प्रक्षेत्र अंतर्गत संचालित अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर परिसर में अवस्थित कैफेटेरिया संचालन हेतु अति-अल्पकालीन निविदा सं० 03/2026-27 की सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के बिहारशरीफ वन प्रक्षेत्र अंतर्गत संचालित अनुग्रह नारायण पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क, अम्बेर परिसर में अवस्थित कैफेटेरिया के संचालन हेतु अति-अल्पकालीन निविदा (निविदा संख्या 03/2026-27) आमंत्रित की गयी है। उक्त निविदा की सूचना की एक प्रति इस पत्र के साथ (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त सूचना प्रकाशित करने की कृपा की

जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

ज्ञापांक / दिनांक / / 2026

प्रतिलिपि : सरकार के उप सचिव, बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना-15 को सूचना प्रकाशन सामग्री की सॉफ्ट एवं हार्ड प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना की सेवा में अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक : यथोक्त।

ह०/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

ज्ञापांक 1462 / दिनांक 21 / 4 / 2026

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना-15 को सूचना प्रकाशन सामग्री की सॉफ्ट एवं हार्ड प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथोक्त।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।